कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा

क्र. / /एलए/ 556 खण्डवा, दिनांक 23.02.2019

प्रति

संचालक,
जन सम्पर्क संचालनालय
भोपाल

विषय :– आशापुर बैतुल मार्ग के किमी. 17/10 में छोटी तवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग में आ रही निजी भूमि मुआवजा प्रकरण –प्रकरण क्र. 12/अ–82/2018–19 ग्राम अमलपुरा **"आपसी सहमति क्रय नीति"** की कण्डिका 11 (1) के तहत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन

=== 000 ===

विषयान्तर्गत आपसी सहमति से भूमि/क्रय नीति की कण्डिका 11 (1) के तहत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में किया जाना है। सार्वजनिक सूचना पत्र की दो प्रति (एक मूल प्रति एवं एक छाया प्रति) संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इस क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवा कर इसकी एक–एक प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू–अर्जन अधिकारी
खण्डवा

पृ. क्र. / /एलए/ 557 खण्डवा, दिनांक 23.02.2019

प्रतिलिपी :–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं सार्वजनिक सूचना को जिले की वेब साईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
2. तहसीलदार खण्डवा की ओर 06 प्रतियाँ भेजकर लेख है कि एक कलेक्टर कार्यालय के, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापिस भिजवाने की व्यवस्था करें।
3. सम्बन्धित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतुनिर्माण संभाग इंदौर/अविअ लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ। समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति संकलित कर पेश करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
एवं भू–अर्जन अधिकारी
खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक / 530 / भू–अर्जन / 2019 खण्डवा, दिनांक 22 / 02 / 2019

// सार्वजनिक सूचना //

म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12–2–2014–सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार व्दारा निजी भू–धारकों की **"आपसी सहमति से भूमि कय नीति"** जारी की गयी है ।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम **कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग इंदौर** को खण्डवा जिले में खंडवा आशापुर बैतुल मार्ग के किमी 17/10 में छोटी तवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग मे आ रही ग्राम **अमलपुरा** के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू–स्वामी/भू–स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका–10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका–11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में, आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, प.ह.नं.–85 , ग्राम–अमलपुरा क्षेत्रफल रकबा 0.11 हेक्टर

क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	सर्वे नम्बर	प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में			अन्य सम्पत्ति
			सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	
1	2	3	4	5	6	7
1	हर्षा पति राजेश कुमार, सुजाता पति अनिल कुमार , कविता पति संजय कुमार नि. खण्डवा भूमिस्वामी	382	0-11	-	0-11	
	योग		**0-11**	-	**0-11**	

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर
जिला खण्डवा